Book No. :- 1 Deed No. 26830

Serial No. 27990

Deed No. 26830

## Govt. of Bihar
## District Registry Office ,Patna
### Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 27/11/2013 by Ashok Singh
A stamp duty of Rs. 720000/- and other fees of Rs. 20804/- has been paid in it.
The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as deed no. 26830 in Book No. 1, Volume No. 588 on pages from 85 to 102 and has been preserved in total 18 pages in C.D. No. 91 / Year 2013

Date: 30/11/2013 Token No: 28640 /2013

Signature with Date
(Ashok Kumar Thakur)
Registering Officer, Patna

SCANNED

GRIH VATIKA HOMES PVT. LTD
DIRECTOR

# उन्नयन मनोबंध
# (Development Agreement)

यह डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट आज दिनांक 26.11.2013 को श्री अशोक सिंह वल्द स्व० रामेश्वर प्रसाद सिंह, निवासी- सरिस्ताबाद, आजाद पथ लेन- सी, राजपुताना,

# District Registry Office,Patna

...mber 28640 Reg. Year 2013 Serial Number 27990 Deed Number

| ... | Name | Photo | Thumb | Index | Middle | Ring | Little |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ...ted | Ashok Singh<br>...shok Kumar Singh<br>27/XI/2013 | | | | | | |
| ...nt | Ranjit Kumar Jha(Dir)<br>[illegible]<br>27/11/13 | | | | | | |
| ... | Ashok Singh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ... | Naveen Kumar Singh<br>...een Kumar Singh<br>...7/11/2013 | | | | | | |

थाना- गर्दनीबाग, जिला- पटना, जिन्हें आगे जमीन मालिक के नाम से सम्बोधित किया गया है। (जो शब्दावली प्रसंग के प्रतिकूल होने अथवा हटाये जाने की स्थिति को छोड़कर उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक हितबद्ध उत्तराधिकारी को शामिल करेंगे) जिन्हें इसमें प्रथम पक्ष कहा गया है।

**एवं**

*मेसर्स गृह वाटिका होम्स प्रा० लि०,* निबंधन कार्यालय 26, ए.एन. पथ, बोरिंग रोड, जिला- पटना, जिसका निबंधन संख्या- U70102BR2012PTC019642 है, द्वारा प्रबंध निदेशक *श्री रंजीत कुमार झा* वल्द श्री प्रेम कुमार झा, निवासी 584/ए, नेहरू नगर, रोड नं०- 6, पाटलीपुत्रा, पटना, जिला- पटना के माध्यम से सम्पादित किया जाता है जिन्हें आगे डेवेलपर/ विकासक के नाम से सम्बोधित किया गया है, जिसमें उनके कार्यालय के अधिन्यासी, नामित एवं उत्तराधिकारी इत्यादि हैं जो इसमें द्वितीय पक्ष के रूप में वर्णित है, के बीच सम्पादित हुआ।

यह कि जमीन मालिक मौज़ा- बिशुनपुर पकड़ी, सर्वे थाना- दानापुर, सम्प्रति थाना- बेउर, जिला- पटना के थाना नं. 31 (इक्कतीस), तौजी नं.- 5343 (पांच हजार तीन सौ तैतालीस), खाता नं. 105 (एक सौ पांच), सर्वे प्लौट नं. 325 (तीन सौ पच्चीस), एराजी 36 डिसमिल, पर स्वामी के रुप में स्वत्व धारित करते हुए निर्विवाद रुप से शांतिपूर्वक दखल-कब्जे में है। जिसका पूर्ण विवरण इस विलेख की अनुसूची- I में वर्णित है जो इस विलेख का भाग है।

यह कि अनुसूची- I में वर्णित सम्पति प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी ने स्वत्व वाद संख्या- 270/ 2005 जिसमें श्री तारकेश्वर सिंह वगैरह वादी बनाम अशोक सिंह वगैरह वगैरह प्रतिवादी में *माननीय सब जज-III पटना,* के न्यायालय में दिये गये संधि-पत्र के अनुसार लेख्य सम्पति सहित अन्य सम्पतियाँ प्राप्त की है और अपने हिस्से में मिली सम्पत्तियों पर प्रथम पक्ष स्वामी के रूप से निर्विवाद रूप से शांतिपूर्वक

GRIH VATIKA HOMES PVT. LTD.
DIRECTOR

है। इस प्रकार लेख्य संपति का अन्तरण एवं किसी भी प्रकार का करारनामा इत्यादि करने के लिए सक्षम है।

यह कि विकासक को जमीन मालिक ने अनुसूची-1 में वर्णित जमीन के संबंध में यह विश्वास दिलाया कि जमीन हर प्रकार से पाक-साफ एवं स्वत्व, दोष तथा ऋण भार से मुक्त है। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व, दोष या ऋण भार पाया जायेगा तो उसकी जिम्मेवारी जमीन मालिक पर होगी और उसके चलते होने वाले हर्जा-खर्चा तथा क्षति-पूर्ति भुगतान करने का दायित्व जमीन मालिक को रहेगा।

यह कि उपर्युक्त दोनों पक्षों की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि अनुसूची- I में वर्णित जमीन पर एक बहु मंजिला इमारत का निर्माण निम्नलिखित शर्तो एवं बंधणों पर किया जायः-

1. यह कि द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष की सहमति से यह तय किया कि अनुसूची- I की जमीन पर **पी.एम.सी.** से प्रस्तावित भवन का नक्शा एवं प्लान स्वीकृत कराकर उसके अनुरुप बहु मंजिला इमारत बनाएंगे।

2. यह कि जमीन मालिक और द्वितीय पक्ष डेवलेपर के बीच इस संबंध में इस विलेख के निष्पादन के पहले से बातचीत चल रही थी और अब डेवेलपर्स ने अंतिम रुप से यह निर्णय लिया है कि वे उक्त सम्पति को उन्नयन के लिए ग्रहण करेंगे और जमीन मालिक को आश्वासन दिया तथा आशवस्त किया है कि उक्त सम्पति का उन्नयन करने में किसी भी तरह से जमीन मालिक को क्षति नही पहुँचायेंगे और यह भी कि वे जमीन मालिक को किसी दूसरे व्यक्ति के दाव से उन्मुक्त रखते हुए क्षति होने की दशा में इस एकरारनामा के निष्पादन पर क्षतिपूर्ति करेंगे।

3. यह कि उभय पक्ष सहमत हुए कि द्वितीय पक्ष के डेवलपर बचनबद्ध करते है कि अनुसूची- I में वर्णित जमीन पर बहु-मंजिला इमारत की संरचना करेंगे।

यह कि जमीन मालिक एवं भवन निर्माता ने यह तय किया कि भवन के अंतिम रुप से निर्माण के

GRIH VATIKA HOMES PVT. LTD.
DIRECTOR

5. यह कि ज़मीन मालिक एवं भवन निर्माता द्वारा यह भी तय किया गया कि **पी.एम.सी.** द्वारा स्वीकृत प्रस्तावित निर्माणाधीन हिस्से में जमीन मालिक का 50 प्रतिशत एवं भवन निर्माता का 50 प्रतिशत एवं पार्किंग ओपेन स्पेश, पी.एम.सी. द्वारा स्वीकृत नक्शे के आधार पर 50 प्रतिशत एवं पार्किंग का 50 प्रतिशत रहेगा।

6. यह कि डेवलपर ने स्वीकार किया है कि भवन प्रथम कोटि का होगा और उन्नत इमारत में प्रयुक्त सभी सामान बिना मिलावट के और दीर्घ टिकाउ गुणवत्ता वाले लगाए जायेंगे।

7. यह कि उभय पक्षों के बीच परस्पर घोषणा और प्रतिनिधित्व के द्वारा बातचीत के फलस्वरुप डेवेलपर द्वारा उक्त ज़मीन के उन्नयन के लिए किया गया एकरारनामा शर्तो और बन्धंणों के साथ अंकित किया गया।

8. यह कि जमीन मालिक डेवेलपर को यह स्वीकृत करते है और डेवेलर्पर जमीन मालिक से उक्त जमीन को उन्नत करने का अधिकार स्वीकार करते है उन शर्तो और बन्धंणों पर जो इस एकरारनामा की अनुसूची I में वर्णित है।

9. यह कि जमीन मालिक की सहमति और लिखित स्वीकृति से डेवेलपर उक्त जमीन पर बनाए जाने वाली इमारत कम्पलेक्स का नक्शा, स्वरुप और (elevation) आकृति तैयार करने जिसमें किये जाने वाले कार्य का specification तथा प्रयोग किये जाने वाले सामानों जो प्रथम कोटि के होने चाहिए, के लिये एक वस्तुकार architect की नियुक्ति करेंगे। इस पर होने वाले सभी खर्च और architect को दिये जानेवाला पारिश्रमिक (fees) डेवेलपर द्वारा दिया और वहन किया जायेगा। यह भी तय हुआ कि डेवेलपर उक्त जमीन का उन्नयन कर अधिकतम अनुमान्य एफ.ए.आर सुनिश्चित करेंगे और तदनुसार उन्नयन योजना बनायी जाएगी और भवन स्वीकृति प्राधिकार अर्थात् **पी.एम.सी.** को भेजी जाएगी।

10. यह कि जमीन मालिक यह भी सहमत है कि

GRIH VATIKA HOMES PVT. LTD.
DIRECTOR

प्लान **पी.एम.सी.** और कोई अन्य प्राधिकारों अगर हो, को विकासक अपने हस्ताक्षर से अपनी ओर से जमा कर देंगे और भवन प्लान की स्वीकृति प्राप्त करेंगे। उपर्युक्त कार्य से संबंधित खर्च का भुगतान डेवेलपर करेंगे।

11. यह कि इस आपसी सहमति के निष्पादन के बाद जमीन मालिक डेवेलपर को उनके कर्मचारियों, अभिकर्ताओं, कारीगरों, अभियंताओं एवं मजदूरों को उक्त सम्पति में प्रवेश करने की अनुमति देंगे, जिससे वे विभिन्न विकास- पूर्व कार्य यथा नक्शा और योजना का निर्माण जैसे कार्य कर सकें। वैसे विकास कार्य की सुविधाओं की अनुमति डेवेलपर द्वारा **पी.एम.सी.** और अन्य प्राधिकारों से भवन निर्माण योजना की स्वीकृति के बाद दी जाएगी।

12. यह कि प्राकृतिक विपदा और डेवेलपर की शक्ति के नियंत्रण के बाहर के कारणों को छोड़कर जिससे उक्त सम्पति और निर्माण कार्य प्रभावित हो, भवन निर्माण की समय सीमा **3 वर्ष 6 माह** की होगी और उसके बाद कार्य पूर्ण करने का **दो** महीने का आकस्मीक कारणों का कृपा काल होगा। भवन निर्माण की कुल समय सीमा कृपा काल सहित **3 वर्ष 8 माह** एग्रीमेन्ट तिथि से गिनी जाएगी।

13. यह कि मालिक सहमत है और वचनबद्ध है कि वे बिहार अपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम 2006 की धारा 5 (1) एवं 5 (2) तथा अन्य सभी प्रावधानों एवं नियमों को पालन करेंगे और अधिनियम के अनुरुप भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद विकासक/संप्रवर्तक एवं भू-स्वामी अपने-अपने हिस्से के निरपेक्ष स्वामी होंगे तथा वे अपने अपने हिस्से को पृथक रुप से बेचने/अन्तरण या किराया लगाने करने के हकदार होंगे और उसका नियमानुकुल सक्षम निबंधन कार्यालय में निबंधन करेंगे जिसमें उक्त अधिनियम एवं नियम का पालन किया जायेगा। विकासक अपने हिस्से का अर्थात 50 प्रतिशत ~~पर ही~~ क्षेत्र बंधक रखकर ऋण ले सकेंगे और विक्रय

DIRECTOR

14. यह कि उक्त जमीन पर जैसे-जैसे सम्पूर्ण इमारत कम्पलेक्स तथा उन्नयन कार्य पूर्ण होने पर डेवेलपर बिक्री योग्य निर्मित इमारत के प्रमुख क्षेत्र का आनुपातिक आधार पर जमीन मालिक को 50 प्रतिशत सुपुर्द कर देंगे (प्रत्येक कोटि के घरों/फ्लैटों पर अर्थात् वे फ्लैट जो उक्त विकसित और निर्मित इमारत के प्रमुख अंग होंगे जो डेवेलपर या उनके नामित को आनुपातिक रुप से उनको 50 प्रतिशत हिस्सा के भागीदार होंगे, साथ ही साथ इस श्रेणी की तकनीकी जरुरतों को ध्यान में रखते हुए निर्माण प्रथम कोटि का होगा।

नक्शा स्वीकृति के पश्चात् भवन निर्माण होने पर मंजिलों में बढ़ोतरी का संशोधित नक्शा यदि अनुमोदित होता है तो वैसी स्थति में निर्माण कार्य विकाशक द्वारा पूर्ण करने पर उपर्युक्त अंकित अनुपातिक हिस्से के लिए जमीन मालिक भी हकदार होंगे। और उसी अनुपात में क्रेताओं का प्रति फ्लैट अनुपातिक जमीन में हिस्सा बदल जायेगा।

17. यह कि डेवेलपर को उक्त जमीन के उन्नयन का अधिकार होगा जिसका उन्नयन वे उस पर इमारत/फ्लैट बनाकर, कार पार्किंग स्थान और अन्यान्य tenements के द्वारा जो **पी.एम.सी./दानापुर नगर परिषद** और/अथवा अन्य संबंधित प्राधिकार से स्वीकृत नक्शा की शर्तो और बंधेजों के अनुसार करेंगे अथवा उक्त उद्देश्य के लिए जमीन मालिक डेवेलपर को जरुरत पड़े तो वैसे *सभी कार्य* (acts, deeds, matters) को करने के लिए डेवेलपर को अधिकृत करते हैं *जिसमें खास बातें निम्नवत है :-*

A. उक्त जमीन पर संबंधित प्राधिकार के नियमों *एवं परिनियमों के अनुसार जमीन मालिक के नाम में प्रस्तावित इमारत की योजना बनाना और स्वीकृति के* लिए आवेदन तैयार करना, कानूनी कदमों, वचनबद्धता सम्बन्धी कागजात तैयार करना, हस्ताक्षर करना तथा परियोजना की स्वीकृति के लिए उन्हें जमा करना।

B. इमारत तथा परियोजना के लिए सर्वेयर, इंजीनियर,

Ashok Kumar Singh 26/11/2013

Rajeev Kr. Singh 26/11/13

C. पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं के लिए संबंधित अधिकारियों को आवेदन करना तथा सिमेंट, लोहा और अन्य भवन निर्माण सामग्री के लिए सरकारी कोटा के परमिट के लिए आवेदन करना।

D. किसी भी याचिका (writ) नोटिस या अन्य कानूनी प्रक्रिया प्राप्त करना और जमीन मालिक की ओर से न्यायालय में किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट tribunal या अन्य के समक्ष उपस्थित होना साथ ही किसी न्यायालय सरकारी अधिकारी या tribunal के समक्ष उक्त सम्पत्ति से संबंधित किसी मामले, मुकदमें में उपस्थित होना, बचाव करना, मुकदमा दायर करना, सभी आवश्यक कागजात पेश करना एवं वकालतनामा दायर करना। ये सभी काम डेबेलपर अपने खर्च पर करेंगे।

F. उपर्युक्त कथनानुसार उक्त इमारत एवं फ्लैट आदि को स्वामित्व अथवा अन्य आधार पर डेवेलपर के हिस्से से देना और उसका अथवा बिक्री मूल्य का हिसाब रखना बशर्ते कि ऐसी प्राप्तियाँ सदैव डेवेलपर द्वारा उक्त जमीन के केवल विकास और निर्माण के लिए उपयोग की जाएंगी तथा सदैव इस शर्त के साथ कि डेवेलपर इसकी सुपुर्दगी नहीं करेंगे अथवा निर्मित क्षेत्र में अपना हिस्सा खत्म नहीं करेंगे जब तक कि जमीन मालिक को मिलने वाला सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र पूर्ण रुप से उन्हें सुपुर्द नहीं कर दिया जाता है।

G. इमारत कम्प्लेक्स में फ्लैट/tenements आदि खरीदने वालों को अपने फ्लैट/tenements के एवज में आर्थिक संस्थाओं से ऋण लेने के लिए डेवेलपर को इमारत में अपना हिस्सा बंधक रखना।

H. डेवेलपर को यह अधिकार होगा कि वे अपने 50 प्रतिशत हिस्से को सीधे अथवा सहकारी समितियों द्वारा बेचने, आवंटित करें और उनके पक्ष में खरीदारों के नाम विक्रय पत्र निष्पादित करें।

I. जमीन मालिक ने स्वीकार किया है कि यदि डेवेलपर उक्त परियोजना से सटे या उसके आस-पास की जमीन पर कोई दूसरी परियोजना का विस्तार करें तो उन्हें किसी प्रकार की आपति नही होगी बशर्ते उसका

Ashok Kumar Singh
26/11/2013

GRIH VATIKA HOMES
Rohit Kr Singh
26/11/13

J. डेवेलपर को यह अधिकार होगा कि वे पूर्वोक्त जमीन का उन्नयन उस पर एक या अनेक भवन,फ्लैट, पार्किंग स्थान और अन्य tenements इमारत के नक्शे के अनुसार बनाकर करेंगे और उन्हें बेचेंगे अपने 50 प्रतिशत हिस्से आवंटित करेंगे। जैसी जरुरत हो, वैसी करेंगे, ऐसा अधिकार उन्हें ''डेवेलपर क्षेत्र'' के निर्माण पर होगा जिसे वे जिसे उचित समझें बेचें और ऐसे फ्लैट इकाइयों/tenements पार्किंग स्थान का मूल्य वसूलें और अपने खाते में अपने लिए रखें।

K. पूर्वोक्त जमीन पर प्रस्तावित इमारत के लिए योजना को संबंधित प्राधिकार के नियमों के अन्तर्गत तैयार कर इसे पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार/सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वीकृत कराने के लिए आवेदन तथा वचनबद्धताओं को अगर डेवेलपर चाहें तो जमीन मालिक ऐसे सभी आवश्यक योजनाओं, विशिष्टियों, घोषणाओं, शपथ-पत्रों और अन्य कानूनी अथवा statutory कागजातों को पी.एम.सी. अन्य अधिकारियों से स्वीकृत कराने के लिए हस्ताक्षर करने पर सहमत है।

18. यह कि जमीन मालिक घोषणा करते हैं :-

(i). कि जमीन मालिक को उक्त जमीन से संबंधित इसके अधिग्रहण या अधियाचना के लिए कोई नोटिस या अधिसूचना प्राप्त नही हुई है और उन्हें इसका उन्नयन करने या कराने के लिए अधिकार है।

(ii). कि उक्त जमीन से संबंधित इस जमीन या इसके किसी हिस्से पर कोई दावा, मांग, निषेधाज्ञा या संलग्नता किसी करारोपन अधिकारी, राजस्व अधिकारी या सरकार अथवा स्थायी निकायों या अधिकारियों द्वारा नही है।

(iii). कि उक्त जमीन से संबंधित कोई मनोबंध या व्यवस्था नही चल रहा है और अगर डेवेलपर को किसी ऐसे व्यवस्था का पता चले तो डेवेलपर को यह मनोबंध रद्द करने और इसका पूरा खर्च बैंक दर पर सूद के साथ जमीन मालिक से वसूल करने का अधिकार होगा। अगर डेवलपर बीच में काम छोड़ देता है तो सारा डेवलपमेन्ट एरिया जमीन मालिक का और जो

GRIH VATIKA HOMES PVT LTD
DIRECTOR

(iv). कि जमीन मालिक के अलावा उक्त जमीन पर और किसी का कोई अधिकार, हिस्सा या हक नहीं है और जमीन मालिक किसी बेनामी जमीन मालिक के बेनामीदार नहीं हैं।

(v). कि जमीन मालिक ने घोषणा की है कि उक्त जमीन पर कोई दायित्व या अवभार नहीं है और अगर उस पर कोई झूठा दावा करता है तो जमीन मालिक ऐसे दावे को अपने खर्चे पर चुनौती देंगे।

(vi). कि उक्त जमीन के अधिकार से संबंधित किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा नही चल रहा है और कोई भी शुल्क या कर इस विलेख के लिखे जाने तक बाकी नहीं है और अगर इसके पूर्व का कोई टैक्स या शुल्क बकाया हो तो जमीन मालिक उसका भुगतान करेंगे।

(vii).कि जमीन मालिक उक्त जमीन के हस्तांतरण, अंतरण के उद्देश्य से मनोबंध हो जाने के बाद प्रस्तावित इमारत में डेवेलपर सहित किसी समिति के हिस्से को सौंप देंगे और जमीन मालिक बचनबद्ध हैं कि वे पूर्वोक्त घोषणाओं के विरुद्ध कोई काम या कार्रवाई नही करेंगे।

(viii).कि जमीन मालिक को उन्नयनकृत संपति में अपने हिस्से को बेचने, पट्टा पर देने अथवा निबटान करने का अधिकार होगा।

19. उचित अधिकार सहित इन प्रावधानों (presents) के अन्तर्गत डेवेलपर निर्मित भवन में कम से कम भू-तल्ला के संरचना कार्य की पूर्णता के बाद जमीन मालिक और इमारत में उनके हिस्से की पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था करते हुए डेवेलपर अपना हिस्सा बंधक रख सकते है बशर्ते ऐसा ऋण अथवा उधार डेवेलपर इमारत के अपने हिस्से की जमानत पर लेंगे और यह परियोजना के उन्नयन और जमीन मालिक की पूर्ण संतुष्टि के अनुसार इमारत के निर्माण में लगाया जाएगा। जमीन मालिक को ऐसे खातों, उधारों और आवेदनों को जांच करने का अधिकार होगा।

GRIH VATIKA HOMES PVT. LTD.
DIRECTOR

(चूंकि समय सीमा इस मनोबंध का प्रमुख अंग है) असमर्थ रहते हैं, वैसे किसी दैवी कारण या नियंत्रण के बाहर प्राकृतिक विपति को छोड़कर जो इस निर्माण को प्रभावित करता है, वैसी हालत में पूर्वोक्त निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत इमारत को पुरा न करने के कारण डेवेलपर को आपसी सहमति से आगे की कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

25. इस मनोबंध की शर्तो के अनुसार उक्त जमीन पर प्रस्तावित इमारत में बिक्री योग्य निर्मित क्षेत्र पर अधिकार एवं हित्त के अतिरिक्त जमीन मालिक को परम निर्मित क्षेत्र यथा, सीढ़ी घर, रास्तो, लिफ्ट, पानी की टंकी, जेनरेटर कमरा, खुली जगह, वाहन पार्किंग स्थान और सभी सामूहिक क्षेत्र पर भी जमीन मालिक का बराबर अधिकार होगा।

26. डेवेलपर **पी.एम.सी.** के नियम, परिनियम और कानूनों का दृढ़ता से पालन करेंगे और सर्वदा किसी क्षति, दावा, मांग जो नियमों और कानूनों के उल्लंघन से उत्पन्न हो उससे जमीन मालिक को क्षतिपूर्ति करायेंगे।

27. इमारत की योजना में डेवलेपर सभी सामान्य (Civil), बिजली, plumbing and sanitory कार्यो जिसमें भूमिगत एवं उपरी टंकी, पानी व्यवस्था, नल पम्प, गृह सेवा आदि शामिल है वे **पी.एम.सी.** की स्वीकृत योजना के अनुसार शामिल होगा।

28. उक्त ***"उर्मिला वाटिका"*** इमारत या परिसर में किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति या डेवेलपर पर किसी कार्य के चलते किसी व्यक्ति या प्राधिकार को देय किसी नुकसान, दावा,क्षतिपूर्ति के लिए डेवेलपर जमीन मालिक को पूरी तरह क्षतिपूर्ति करेंगे और जमीन मालिक किसी भी तरह का भुगतान करने, मजदूर क्षतिपूर्ति कानून अथवा किसी अन्य कानून के अन्तर्गत किसी दुर्घटना से संबंधित मुकदमें में बचाव करने के लिए जवाबदेह नही होंगे।

Ashok Kumar Singh
26/11/2013

यह की लेख्य प्लौट से संबंधित जरुरी कार्यो के लिए जमीन मालिक ही प्राधिकृत है क्योंकि अपने परिवार में कर्ता की हैसियत से वरिये सदस्य होने के नाते परिवार के हित में आवश्यक कानूनी खर्चो की पूर्ति हेतु नियमानुकुल प्राधिकृत है।

## अनुसूची I

वह आवासीय परती जमीन जो मौजा- विशुनपुर पकड़ी, सर्वे थाना- दानापुर, सम्प्रति थाना- बेउर, जिला- पटना के थाना नं. 31 (इक्कतीस), तौजी नं.- 5343 (पांच हजार तीन सौ तैंतालीस), खाता नं. 105 (एक सौ पांच), सर्वे प्लौट नं. 325 (तीन सौ पच्चीस), रकबा 36 डिसमिल है, जिसकी चौहद्दी निम्नवत है :-

### चौहद्दी

उत्तर :- श्री बी.के. सिंह

दक्षिण :- बाँध

पूरब :- श्री रामफल सिंह

पश्चिम :- श्री रवि शंकर (हाल खरीदार)

**नोट** :- उपर्युक्त सम्पति वर्ष 2013-14 के न्युनतम दर पंजी के कोड नं. 565 पर अंकित है, जिसका वर्त्तमान बाजार मूल्य मो. 3,60,00,000/ (तीन करोड़ साठ लाख) रूपया है।

## अनुसूची II

जमीन मालिक के क्षेत्र का संक्षिप्त वास्तुशास्त्रीय एवं ढांचागत विवरण।

ढांचा :- पी.आर.डी.ए.(विघटित)/पी.एम.सी. द्वारा स्वीकृत आर.सी. सी. फ्रेम ढांचा।

civil कार्य :- पी.आर.डी.ए.(विघटित)/पी.एम.सी. द्वारा स्वीकृत प्रथम कोटि का सिमेंट, (ए.सी.सी.) सोन बालू एवं मसाला, टाटा टीएमटी, प्रथम श्रेणी का ईट

परिसज्जा :- जमीन मालिक के हिस्से की सभी दीवारें बाहरी तथा भीतरी छत में वाल पुट्टी का प्रथम सतह एवं बाहर की दीवारें बिड़ला पुट्टी होगी।

दरवाजे :- दरवाजे का ढांचा लकड़ी (सखुआ) का तथा मुख्य दरवाजे पर लकड़ी (सखुआ) का चौखट तथा दरवाजे का पल्ला शिशम का होगा और उस पर दो तह सिन्थेटिक इनैमेल

का नही होगा।

खिड़कियाँ :- जमीन मालिक के अनुसार या लकड़ी के (सखुआ) के फ्रेम में आधा glazed खिड़कियाँ।

फर्श :- संगमरमर या जौनसन या कजरीया का टाइल्स ग्रे सिमेंट में फ्लैट के अन्दर समस्त फर्श क्षेत्र में।

शौचालय :- मुख्य शयन कक्ष से जुड़े एक शौचालय में गर्म पानी का नल, सफेद glazed टाइल्स 7' की उँचाई तक सभी शौचालय का साजोसमान ISI ब्राण्ड का उपयोग होगा। किचेन एवं बाथरुम का जमीन संगमरमर का होगा।

रसोई घर :- ग्रेनाईट का कार्यकारी platform तथा स्टील का सिंक, कार्यकारी platform से 24'' उँचा रंगीन glazed टाइल्स।

बालकोनी :- प्रथम कोटी फ्लोर टाईल्स

बिजली व्यवस्था:- मानक बिजली सामग्री के साथ concealed पी.वी.सी. तार हैवल्स या एन्कर का conduit wiring मुख्य शयन कक्ष में A.C. प्वाइंट।

उपयुक्त specifications में promoters/architect द्वारा निर्णित कुछ फेर बदल संभव है। जमीन मालिक गुणवत्ता, मात्रा कम्पनी का निर्णय करेंगे।

अतिरिक्त सुविधायें:- मुख्य दरवाजे पर नेम प्लेट प्रति फ्लैट, लेटर बॉक्स। नेम प्लेट डाईरक्ट्री, कैम्पस में सी.सी, टी.वी. कैमरा।

## *अनुसूची-III*

**अन्य विशेष सुविधायें जो विकासकर्त्ता द्वारा दिये जायेंगे:-**

1. बैठकखाने में एक TV तथा इंटरकॉम का प्वाइंट।
2. चौबीसो घंटे अपने ट्यूबवेल से जुड़े सामूहिक उपरी टंकी से पानी की व्यवस्था।
3. डेवलपर अतिरिक्त खर्च पर सामूहिक ध्वनी रहित जनरेटर।
4. बैठकखाने में एक टेलीफोन प्वाइंट (कनेक्शन नहीं)
5. फ्लैट के अन्दर concealed बिजली जिसमें ताँबे का तार होगा।
6. ब्राण्डेड पैसेन्जर लिफ्ट, पावर बैकअप लिफ्ट, वाटर पम्प, कॉमन एरिया एवं हर फ्लैट में 500 वाट दिया जायेगा।
7. जॉगिंग ट्रैक, कॉमन गेस्ट रूम (अतिथिशाला) एवं कॉमन कार पार्किंग।

यह कि यह करारनामा अपनी पूर्ण स्वस्थ मानसिक स्थिति में सोंच-समझकर निम्नलिखित गवाहों के समक्ष लिख दिया कि समय पर काम आवे एवं प्रमाण रहे।

*गवाहगण: -*

1. Naveen Kumar Singh 26/11/13
S/o Sri Ashok Kumar Singh
Sanstabad Road, Azadpeth
Lain-'C', Gardhanibagh
Patna - 800001

2. PANKAJ KUMAR SINGH 26/11/13
S/o Ashok Kumar Singh
Sanstabad Azad Path
Patna

Ashok Kumar Singh
26/XI/2013
प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर

Chandan Prateek 26/11/13

GRIN VATIKA HOMES P.L.

3. Ashok kr Singh
Sristabad Azadpeth
Gardanibagh
Patna

Rajeev Kr Singh
DIRECTOR
द्वितीय-पक्ष का हस्ताक्षर 26/11/13

मुद्रित किया:-

(मुकेश प्रसाद)
समाहरणालय अधिवक्ता संघ,
पटना।

*जमीन मालिक के निदेश एवं विकासक की सहमती पर प्रारुप तैयार किया।*

27/11

चतुर्थ प्रति
बिहार सरकार
निबंधन विभाग
दस्तावेजों के निबंधन के लिए जमा किए जाने वाले स्टाम्प शुल्क/निबंधन शुल्क एवं भूस्वामी के निबंधन शुल्क के भुगतान के लिए बैंक चालान

1. पक्षकार का नाम M/S. Arif Vatika Flowers Pvt. Ltd.
(जिनकी ओर से कार्य किया जा रहा है) through its Managing Director
2. दस्तावेज का प्रकार Irrevocable Agreement [illegible]
3. निबंधन कार्यालय Patna Sadar
4. बैंक का नाम एवं शाखा S.B.I. [illegible] Road, Patna
5. भुगतान की जानेवाली राशि का विवरण

| क्र०सं० | भुगतान का मद एवं शीर्ष | रकम |
|---|---|---|
| (क) | स्टाम्प शुल्क-मुख्य शीर्ष-0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण-उप-मुख्य शीर्ष 02-स्टाम्प गैर न्यायिक लघु शीर्ष-102-[illegible] विपत्र कोड-R003002103000[illegible] | 5000 |
| (ख) | निबंधन शुल्क-मुख्य शीर्ष-0030 स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क उप मुख्य शीर्ष 03 पंजीकरण शुल्क, लघु शीर्ष-104-[illegible] विपत्र कोड-R003003104000[illegible] | 2[illegible] |
| (ग) | भूस्वामी शुल्क-मुख्य शीर्ष-0029 भू राजस्व लघु शीर्ष 800 अन्य प्राप्तियाँ-उप शीर्ष-0006 अन्य मद-प्राथमिक इकाई 7549 भूमि निबंधन शुल्क से आय विपत्र कोड-R0029008000006 | / |
| | भुगतान का माध्यम : नगद/चेक/ड्राफ्ट<br>कुल राशि शब्दों में ........ कुल योग | 25 [illegible] |

स्थान Patna
तारीख 26/11/13
जमाकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर
चेक/ड्राफ्ट का विवरण पीठ पर अंकित कर दें।
चेक/ड्राफ्ट की राशि अन्तरित होने के पश्चात ही मान्य होगी।

FOR USE OF THE BANK

भारतीय स्टेट बैंक 0152 INITIAL
SRIKANT
ID NO.-6637485
26 NOV 2013
CASH RECEIVED

निबंधन हेतु संचित चार्ज जमा करने का विवरण
बैंक की प्राप्ति एवं मुहर

---

[illegible] कार्यालय हेतु
निबंधन विभाग
दस्तावेजों के निबंधन के लिए जमा किए जाने वाले स्टाम्प शुल्क [illegible] भूस्वामी के निबंधन शुल्क के भुगतान के लिए बैंक चालान

1. पक्षकार का नाम M/S. Arif Vatika [illegible] Pvt. Ltd.
(जिनकी ओर से काम किया जा रहा है) through its Managing Director
2. दस्तावेज का प्रकार Development Agreement [illegible]
3. निबंधन कार्यालय Patna Sadar [illegible]
4. बैंक का नाम एवं शाखा S.B.I. Main Boring Road Patna
5. भुगतान की जानेवाली राशि का विवरण Branch

| क्र०सं० | भुगतान का मद एवं शीर्ष | रकम |
|---|---|---|
| (क) | स्टाम्प शुल्क-मुख्य शीर्ष 0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण-उप-मुख्य शीर्ष 02-स्टाम्प गैर न्यायिक लघु शीर्ष-102-[illegible] विपत्र कोड-R0030021030001 | 3,19,000-00 |
| (ख) | निबंधन शुल्क-मुख्य शीर्ष 0030 स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क उप मुख्य शीर्ष-03 पंजीकरण शुल्क लघु शीर्ष-104 [illegible] विपत्र कोड-R0030031040001 | / |
| (ग) | भूस्वामी शुल्क-मुख्य शीर्ष 0029 भू राजस्व लघु शीर्ष 800-अन्य [illegible] 7549 भूमि निबंधन शुल्क से आय विपत्र कोड-R0029008000006 | |
| | भुगतान का माध्यम नगद/चेक/ड्राफ्ट<br>कुल राशि शब्दों में Three Lac. Nineteen Thousand only कुल योग | 3,19,000-00 |

स्थान Patna
तारीख 20/5/13
जमाकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर Krishna Sinha

FOR USE OF THE BANK

AVINASH KUMAR SINHA
ID NO. [illegible]
20 MAY 2013
CASH/TRANSFER

प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर
बैंक की प्राप्ति एवं मुहर

---

[illegible]
निबंधन विभाग
दस्तावेजों के निबंधन के लिए जमा किए जाने वाले स्टाम्प [illegible] भूस्वामी के निबंधन शुल्क के भुगतान के लिए बैंक चालान

1. पक्षकार का नाम [illegible] Vatika Complex Ltd.
(जिनकी ओर से कार्य किया जा रहा है) [illegible]
2. दस्तावेज का प्रकार [illegible]
3. निबंधन कार्यालय Patna [illegible]
4. बैंक का नाम एवं शाखा SBI Main Branch
5. भुगतान की जानेवाली राशि का विवरण

| क्र०सं० | भुगतान का मद एवं शीर्ष | रकम |
|---|---|---|
| (क) | स्टाम्प शुल्क-मुख्य शीर्ष-0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण-उप-मुख्य शीर्ष 02-[illegible] विपत्र कोड-R0030021030001 | 2,86,000-00 |
| (ख) | निबंधन शुल्क-मुख्य शीर्ष-0030 स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क उप मुख्य शीर्ष-03 पंजीकरण शुल्क, [illegible] विपत्र कोड-R003003104000[illegible] | 2,[illegible] |
| (ग) | भूस्वामी शुल्क मुख्य शीर्ष-0029 भू राजस्व लघु शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियाँ-उप शीर्ष-0006 अन्य मद प्राथमिक इकाई-7549 भूमि निबंधन शुल्क से आय विपत्र कोड-R0029008000006 | /3,[illegible] |
| | भुगतान का माध्यम : नगद/चेक/ड्राफ्ट<br>कुल राशि शब्दों में [illegible] कुल योग | 3,[illegible] |

स्थान Patna
तारीख 14/5/13
जमाकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर
चेक/ड्राफ्ट का विवरण पीठ पर अंकित करें।
चेक/ड्राफ्ट की राशि अन्तरित होने के पश्चात ही मान्य होगी।

FOR USE OF THE BANK

स्क्रौल सं० ........ तारीख ........ उपर्युक्त कॉलम
संख्या 05 में दिए गये विवरण के अनुसार रु०
शब्दों में ........ प्राप्त किया।
प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर
भारतीय स्टेट बैंक 0152
निबंधन हेतु सर्विस चार्ज जमा करने का विवरण
राशि रू० ........
जमा करने की तिथि
बैंक स्क्रौल सं०
स्क्रौल लेखा सं०
बैंक की प्राप्ति एवं मुहर

---

New Sahu [illegible] 6/2005964-5 Lakhs

जमापर्ची/Pay-in-slip नकद/अंतरण/CASH/TRANSFER
भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
शाखा Branch
दिनांक Date 14.5.13
खाते का प्रकार Type of Account SB CA RD [illegible]
खाता सं. A/c No. [illegible]
के क्रेडिट में जमा हेतु for the credit of the Bank Account of [illegible]
नकद/चेक के विवरण Details of Cash/Cheques/Transfer
[illegible]
Cash Officer/Passing Officer

## *Endorsement of Certificate of Admissibility*

ible under Rule 5 : duly Stamped ( or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'.Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

duty paid under Indian Stamp Act **Rs. 720000/-**
tamp duty paid under Municipal Act **Rs. 0/-**

| | | |
|---|---|---|
| Amt.Paid By N.J Stamp Paper | **Rs.** | **0/-** |
| Amt.paid through Bank Challan | **Rs.** | **740804/-** |

**Registration Fee**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **304** | C | **0** | H1b | **0** | K1a | **0** | Lii | **0** |
| 8 | **0** | D | **0** | H2 | **0** | K1b | **0** | Liii | **0** |
| 9 | **0** | DD | **0** | I | **0** | K1c | **0** | Mb | **0** |
| 10 | **0** | E | **20000** | J1 | **0** | K2 | **0** | Na | **0** |
| | **0** | H1a | **0** | J2 | **0** | Li | **0** | | |
| | | | | | | | **TOTAL-** | | **20304** |

**LLR + Proc Fee**

| | |
|---|---|
| LLR | 0 |
| Proc.Fee | 0 |
| Total | 0 |

**Service Charge**

500

**:al amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 20804**

**7/11/2013**

**Registering Officer**
**Patna**

## *Endorsement under section 52*

:d for registration at Registration Office, Patna on Wednesday, 27th November 2013 by Ashok Singh S/O Late war Prasad Singh by profession Others. Status - Executant

ok Kumar Singh
27/11/2013
**re/L.T.I. of Presentant**

**Date:27/11/2013**

**Registering Officer**
**Patna**

## *Endorsement under section 58*

n is admitted by those Executants and Identified by the person ( Identified by 'Naveen Kumar Singh' age 'M', 'Ashok Kumar Singh', resident of 'Saristabad Road,azadpath,gardanibagh,patna'. ), whose Names, iphs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

**:7/11/2013**

**Registering Officer**
**Patna**

Sch. XIV.—F.No. 180 V

रसीद मालगुजारी

नाम [illegible]

थाना [illegible]

बि०स०मु०, पटना।

फरद मालकी / फरद रैयती।

नाम रैयत मय वल्दियत जमाबन्दी

वो सकुनत। नम्बर।

X / 105 1260

00595305

| | |
|---|---|
| कियामी पुर्सी | श्री अशोक सिंह |

अराजी नगदी — अराजी भावली — तफसील हिसाब लगान भावली।

| | | |
|---|---|---|
| 0.36 | | श्री राधेश्याम प्रसाद सिंह |

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा मालिकान

| साल बाबत 2016/17 | सालाना | बकाया | | | | हाल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | तीन वर्ष से ज्यादा। | 3रा वर्ष। | 2रा वर्ष। | 1ला वर्ष। | |
| माल- गुजारी (नकदी) | 4.00 | | | | 4.00 | 4.00 |
| माल- गुजारी (भावली) | 1.00 | | | | 1.00 | 1.00 |
| सेस ... | 2.00 | | | | 2.00 | 2.00 |
| *सुद ... | 2.00 | | | | 2.00 | 2.00 |
| मुतफरकात ... | 0.80 | | | | 0.80 | 0.80 |
| मीजान | 9.80 | | | | 9.80 | 9.80 |

WITHOUT PREJUDICE

तफसील अदायकारी।

1960

| अदायकारी बाबत 2016/17 | बकाया | | | | मोतालबा हाल | फाजिल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | तीन वर्ष से ज्यादा। | 3रा वर्ष। | 2रा वर्ष। | 1ला वर्ष। | | |
| माल- गुजारी (नकदी) | | | | 4.00 | 4.00 | |
| माल- गुजारी (भावली) | | | | 1.00 | 1.00 | |
| सेस ... | | | | 2.00 | 2.00 | |
| *सुद ... | | | | 2.00 | 2.00 | |
| मुतफरकात ... | | | | 0.80 | 0.80 | |
| मीजान अदायकारी | | | | 9.80 | 9.80 | |

(1) मीजान कुल (लफजों में) — उन्नीस [illegible] पैसे

(2) नाम देहिन्दा —

(3) कुल बकाया —

दस्खत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा

*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय सेस बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

2017/ 842

105 325

बि.स.मु.(राजस्व) 1—2011

TWENTY FIVE PAISE

| प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy. | स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios. | अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios. | तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery. | आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant. |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

नकल व आपत्ति पुरा आदेश- फलक कर्मचारी राजस्व अंचल का प्रतिवेदन।
अंचल कार्यालय फुलवारी शरीफ

शिविर न्यायालय

-7-14 अंचल, फुलवारी शरीफ अनुमंडल पटना सदर जिला पटना हल्का नं 7
दाखिल खारिज केस नं 385/7 साल-2014-2015

मूल जमींदार का नाम एवं पता    जमाबंदी नं
क्रमांक श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह    1002
137 S/o स्व० [illegible] सिंह
सा० - सरिस्ताबाद

मूल जमींदार के नाम से जमीन का विवरण

| मौजा | थाना नं | खाता नं | खेसरा नं | रकबा | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| पकड़ी | 31 | 105 | 325 | 1.36 | 14.20 |
| | | 57 | 277 | | |
| | | 184 | 290 | | |
| | | | 353 | | |
| | | | 371 | | |

क्रेता का नाम एवं पता    वसिका सं० तिथि के साथ    वसिका का प्रकार
① श्री अशोक सिंह S/o स्व० रामेश्वर प्र० सिंह    270    बटवारा
② अखिल सिंह S/o रामेश्वर प्र० सिंह    16-7-07

नया जमींदार का विवरण

| मौजा | थाना नं | खाता नं | खेसरा नं | रकबा | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| पकड़ी | 31 | 105 | 325 | 36 डि० | 3-00 |
| | | 57 | 277 | 21 1/2 | |
| | | 〃 | 290 | 10 1/4 | |
| | | 184 | 353 | 7.75 | |
| | | 〃 | 371 | 8 1/2 | |
| | | | | 47 1/2 | |

अनुक्रियों
जमाबंदी आवेदक के स्व० पिता के नाम पर दर्ज है।

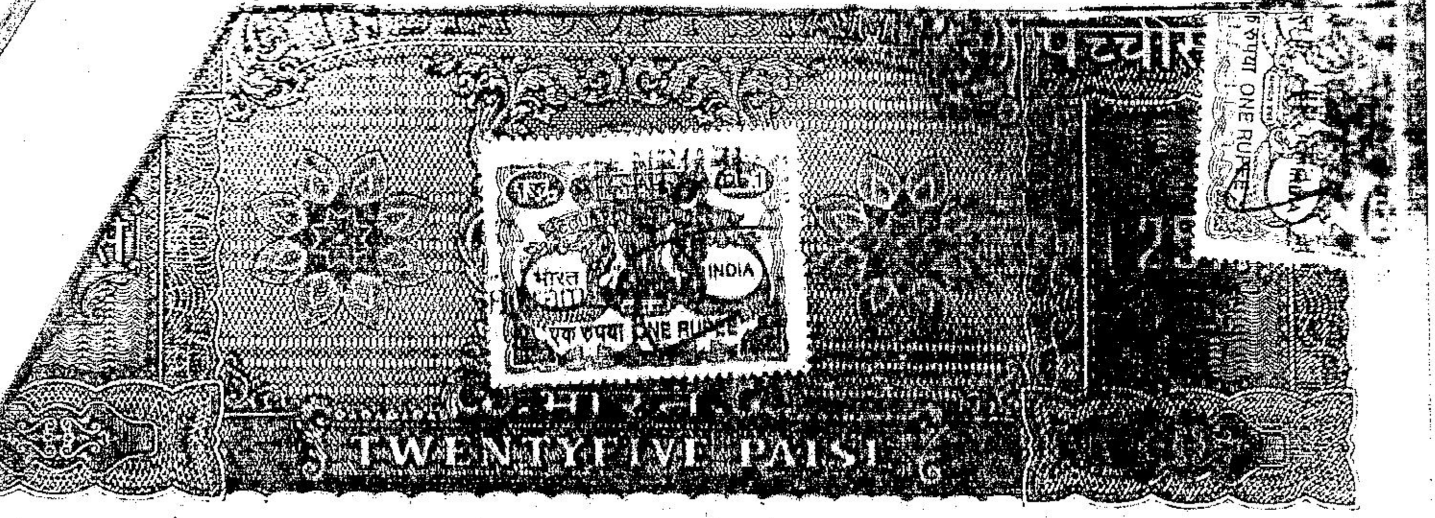


| प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy. | स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios. | अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios. | तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery. | आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant. |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

अंचलाधिकारी, फुलवारी शरीफ

क्रमांक 37 के आवेदकों को आवेदित जमीन उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त है। जमीन रैयती है तथा उनके [illegible] शांति पूर्वक दखल कब्जे में है।

अतः वर्णित क्रमांक 37 को नाम के सामने अंकित अनुशंसा के आधार पर स्वीकृति दी जा सकती है।

ह० अस्पष्ट
कर्मचारी

अं०अ०

उपरोक्त वर्णित क्रमांक 37 के नाम के सामने अंकित अनुशंसा के आलोक में दा० खा० की स्वीकृति दी जा सकती है।

ह० अस्पष्ट
8-7-14
प्र०अंचल नि०

अनुशंसा के आलोक में दा० खा० की स्वीकृति दी जाती है।

ह० अस्पष्ट
अंचलाधिकारी
फुलवारी शरीफ

सत्यापित सही प्रतिलिपि
[illegible]
8/7/15

8/7/15

लिखा

2346 4-7-15

[illegible]

| प्रतिलिपि शुल्क | रु० | पै० |
| --- | --- | --- |
| आवेदन [illegible] | 1 | [illegible] |
| अतिरिक्त [illegible] | | |
| [illegible] | 3 | [illegible] |
| की [illegible] | | |
| दर्री [illegible] | 2 | 50 |
| मुद्रित [illegible] | | |
| प्रतिलिपि [illegible] | | |
| | 7 | 50 |

[illegible] सात रुपये पचास पैसे

[illegible]

8/7/15

4/7/15

Sch. XIV.—F.No. 180 V.
रसीद मालगुजारी
नाम सर्कल। नाम मौजा मय थाना वो थाना नम्बर

फारद मालकी / फारद रैयती। नाम रैयत मय वल्दियत चौहद्दी वो सकूनत। नम्बर 00407747

X/97

1260

अराजी नगदी 36 80 | अराजी भावली | तफसील हिसाब लगान भावली।

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया के साथ)

| मांग बाबत 2014/15 | सालाना | बकाया: तीन वर्ष से ज्यादा | उस वर्ष | इस वर्ष | गत वर्ष | टोटल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| माल- (नकदी) | | | | | | |
| गुजारी (भावली) | | | | | | |
| सेस | | | | | | |
| *सूद | | | | | | |
| मुतफरकात | | | | | | |
| मीजान | | | | | | |

तफसील अदायगी :

| अदायगी बाबत 2014/15 | बकाया: तीन वर्ष से ज्यादा | उस वर्ष | इस वर्ष | गत वर्ष | मौजूदा फसल | फाजिल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| माल- (नकदी) | | | | | | |
| गुजारी (भावली) | | | | | | |
| सेस | | | | | | |
| *सूद | | | | | | |
| मुतफरकात | | | | | | |
| मीजान अदायगी | | | | | | |

(1) मीजान कुल (अदायगी)
(2) नाम देहिन्दा
(3) कुल बकाया

दस्तखत वो ओहदा तहसील कुनिन्दा

* बकाया मालगुजारी पर सूद लिया जाता है।

165 325